कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

(179)

क्रमांकः एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुवस/ 811 दिनांकः 7.2.2018

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल,
केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024 (उ0प्र0)

विषयः–Diversion of 16.48 ha of forest land for 132 K.V. Chattargarh-Khajuwala Transmission line in favour of RRVPNL with felling of 42 Nos. of trees-reg.

संदर्भः–आपका पत्रांक 8बी/राज/04/09/2017/एफसी/241 दि. 30.8.17 107/C.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ने उनके पत्रांक 10805 दि. 12.10.17 एवं 418 दि. 9.1.18 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है :– 138 (77)/C

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली जमा की जाएगी।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु एनपीवी हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 7218240/– प्रयोक्ता अभिकरण ने केम्पाफण्ड में जमा करा दी है। (प्रति संलग्न)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गई है कि यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। अण्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 32.96 है0 (16.48 X 2 = 32.96 hac.) पर क्षतिपूरक वृक्षरोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 4251840/– प्रयोक्ता अभिकरण ने केम्पाफण्ड में जमा करा दी है। (प्रति संलग्न)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में रूपये 5.30 लाख प्रति हैक्टर की दर से प्रस्तावित वनभूमि 16.48 X 5.30 = 8734400.00 रूपये धनराशि में से पूर्व में यूजर एजेंसी द्वारा 4875734.00 रूपये जमा करा दिये गये थें तथा शेष अन्तर की राशि रूपये 3858666.00 ई–चालान द्वारा यूटीआर नंबर एसबीआईएनआर 520171114000685 20 से केम्पाफण्ड में जमा करा दिये गये है।

E/: Office documents/ C

180

		(छायाप्रति संलग्न)
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी.जी. पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।
7.	पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्यॉ न्यूनतम हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्यॉ न्यूनतम हो।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि वनभूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जायेगा।
9.	पारेषण लाईन के लिए राइट ऑफ वे (right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि पारेषण लाईन के लिए राइट ऑफ वे (right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रखी जायेगी।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक लगाए जाएंगे। साथ ही वन्यप्राणियों को विद्युत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक लगाए जाएंगे। साथ ही वन्यप्राणियों को विद्युत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखा जाएगा।
11.	परियोजना के निर्माण और रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि परियोजना के निर्माण और रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
13.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी
15.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान एवं भवि य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी। अण्डरटेकिंग संलग्न है।

(81)

16.	परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 7.1.15 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 7.1.15 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा।
17.	राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वनभूमि की विभुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही की जा सकेगी।	विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार ।
(मूल रिपोर्ट)

भवदीय,

(ए.के.सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय–01412713759, मो.नं. 9414059146

क्रमांकः एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुवसं/812-15 दिनांकः 7.2.2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज–I, छतरगढ।
3. उप वन संरक्षक (CAMPA), कार्यालय हाजा।
4. अधिशासी अभियंता, RRVPNL, 66 के.वी. जीएसएस केम्पस, सागर रोड़, बीकानेर।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

138

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :– एफ12(221)सर्वे / संमुवसं / 2017–18 / 10805   दिनांक :– 12/10/17

निमित् :–

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान,
जयपुर ।

531
16-10-17

विषय:–Diversion of 16.48 ha of forest land for 132 KV Chhattargarh Khajuwala Transmissiou line in favor of RRVPNL with felling of 42 nos of trees-reg. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/22004/2016)

प्रसंग:– आपका पत्रांक एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016 / एफसीए / प्रमुवसं / 3227 दिनांक 14.9.17

DCF(FCA)
13/10/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि छतरगढ–खाजुवाला 132 के.वी. ट्रासमिशन लाईन हेतु 16.48 हेक्टर के प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रासगिक पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक इगानप स्टेज–I छतरगढ द्वारा अपने पत्रांक 5102 दिनांक 9.10.17 (प्रतियां संलग्न) से इस कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है तथा पत्रांक 5105 दिनांक 9.10.17 (प्रति संलग्न) से कार्य करने की स्वीकृति हेतु अनुशंषा की गयी है अतः पालना रिपोर्ट की दो प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

Put up on file for TWP

13/10/17

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(बी.आर.भादू)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक / सम /   दिनांक:–

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक इगानप स्टेज–I छतरगढ को पत्रांक 5102 दिनांक 9.10.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(बी.आर.भादू)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

C:\Users\hcl\Desktop\Desktop\sarvey\fwd ltr fca.doc 212

कार्यालय उप वन संरक्षक इ.गा.न.प.रि. स्टेज – I, छतरगढ

कमांक : एफ ( ) सर्वे / 2017–18 / 5102 दिनांक 9-10-17

सेवा में

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर ।

7451
10-10-17

विशयः– Diversion of 16.48 Ha. Of forest land for 132 KV Chattargarh-Khajuwala Transmission line land in favour of RRVPNL with felling of 42 Nos. of trees-reg.

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्र सं. 8बी / राज. / 04 / 09 / 2017 / एफ.सी. / 241 दिनांक 30.08.2017

महोदय

उपरोक्त विशय पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/22004/2016 (Construction of 132 KV Chattargarh-Khajuwala Transmission line) पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (ii) भारत सरकार की स्वीकृति 19वी मीटीग में दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त हो गयी थी । REC (Central) MOEFCC के प्रस्ताव की अनुपालाना में पेडो की कटाई / छगाई में **राशि रू 83910.00 डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 745961 दिनांक 26.09.2017** द्वारा जमा करा दिये है । (छाया प्रति संलग्न)

संदर्भित पत्र के अनुसार सैधातिक स्वीकृति की राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम की बिन्दुवार पालना पत्र कमांक 1038 दिनांक 04.10.2017 द्वारा कर दी गई है, जो कि निम्न है –

1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा ।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि कैम्पा , नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु एनपीवी हेतु आवश्यक धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण ने निम्नानुसार कैम्पा फंड में जमा कराई गई है 1. उवसं, आईजीएनपी–I , छतरगढ – 7218240 / – प्रतिलिपि संलग्न
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी । अर्डटैकिग संलग्न है ।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभवित वन क्षेत्र के दोगुने वन भूमि अर्थात 32.96 है0 (16.48x2= 32.96 है0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाति करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा , नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण ने निम्नानुसार कैम्पा फंड में जमा कराई गई है – 1. उवसं, आईजीएनपी–I , छतरगढ – 4251840 / – प्रतिलिपि संलग्न

सर्वे
[illegible]

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाइन के नीचे बौने पौधो (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु बीकानेर की विभागीय बी.एस.आर अनुसार आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाति करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा , नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित विधुत लाइन के नीचे बौने पौधो (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण ने निम्नानुसार कैम्पा फंड़ में जमा कराई गई है – 1. उवसं, आईजीएनपी–I , छतरगढ़ – 4875734/– प्रतिलिपि संलग्न
6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पा किया जाएगा । यह सीमांन 4" फीट ऊचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Foprward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पा किया जाएगा । यह सीमांन 4" फीट ऊचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Foprward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी
7	पारेशण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षो की संख्या न्यूनतम हो ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि पारेशण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षो की संख्या न्यूनतम हो ।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/कर्मियो के लिए किसी प्रकार का कैम्प नही लगाया जाएगा ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि वन भूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/कर्मियो के लिए किसी प्रकार का कैम्प नही लगाया जाएगा ।
9	पारेशण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way)की चौडाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि पारेशण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way)की चौडाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी ।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानो पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे । साथ ही वन्य प्राणियों को विधुत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance)रखना सुनिश्चित किया जाएगा ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि समुचित स्थानो पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे । साथ ही वन्य प्राणियों को विधुत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance)रखना सुनिश्चित किया जाएगा ।
11	परियोजना के निर्माण और रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जाएगी ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि परियोजना के निर्माण और रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचायी जाएगी ।
12	प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जाएगा ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जाएगा ।
13	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा ।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेशित की जायेगी ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेशित की जायेगी
15	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविश्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविश्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी । अर्डटैकिग संलग्न है

16	परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि परियोजना के निमित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा ।
17	राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की विभुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी ।	हॉ, प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की विभुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(ओ. पी. कंडवासरा)
उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प.रि. स्टेज– I, छतरगढ

कमांक – समसख्यंक/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु ।

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग , अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्युशनल एरिया , जयपुर
2. श्रीमान अधि ाशी अभियन्ता (टी एण्ड सी), रा रा वि प्र नि लि., बीकानेर

(ओ. पी. कंडवासरा)
उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प.रि. स्टेज– I, छतरगढ

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/04/09/2017/एफ.सी./630

दिनॉक: 14.02.2019

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

कार्यालय वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 1025
दिनांक 26/2/2019

ऑनलाईन आवेदन संख्या–FP/RAJ/TRANS/22004/2016

विषय: Diversion of 16.48 ha. of forest land for 132 KV Chhattargarh Khajuwala Transmission Line in favor of RRVPNL with felling of 42 nos. of trees-reg.

सन्दर्भ–अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर का पत्रांक–एफ14(RRVPNL)/2016/एफसीए/प्रमुवस/4439, दिनांक–15.01.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्षन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान का पत्रांक एफ14(आरआरपीवीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुवस/1169, दिनांक–27.04.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक–30.08.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 16.48 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 42 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अवनत वनभूमि (16.48 x 2 = 32.96) अर्थात 32.96 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में
आवश्यक कार्यवाही करवाकर रिपोर्ट भिजवाने
का श्रम करावें

सहायक शासन सचिव

220

(5)

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी; यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

11. प्रयोक्ता अभिकरण को (यदि आवश्यक हो) उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश का पालन करेगी।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, छत्तरगढ वन प्रभाग, छत्तरगढ़, राजस्थान।
5. Ex. Engineer, RRVPNL, 66 KV GSS Campus Sagar Road, Bikaner, Rajasthan.
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

14-2-19

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)